मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

रजिस्टर्ड ए.डी.

-: आदेश :-

भोपाल,दिनांक 06/09/2021

क्रमांक एफ 1(बी)93/2021/बी-4/दो :- मान0 मुख्यमंत्रीजी, म0प्र0 द्वारा की गई घोषणा क्रमांक सी-0670 के अनुपालन में श्री विवेक सागर प्रसाद, अर्न्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं टोक्यों ओलम्पिक-2020 में हॉकी की कांस्य पदक विजेताा टीम के सदस्य को उप पुलिस अधीक्षक (जी.डी.) के पद पर विशेष नियुक्ति दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 3330/03/2021/अनुभाग-6, दिनांक 14.08.2021 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक (जी.डी.) के 01 रिक्त पद को आयोग के क्षेत्राधिकार की परिधि से अपवर्जित किये जाने हेतु आयोग की सहमति के आधार पर राज्य शासन द्वारा उक्त पद मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया जाता है।

2/ राज्य शासन द्वारा **श्री विवेक सागर प्रसाद आत्मज श्री रोहित प्रसाद, 173, जी.एच, शिव नगर, चांदौन, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद** को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रूपये - 15600-39100+ग्रेड पे 5400/- (सॉतवे वेतनमान में लेवल-12-रू0 56100-177500/-) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर विशेष नियुक्ति के तहत पुलिस मुख्यालय, भोपाल में निम्नांकित शर्तो के तहत नियुक्त किया जाता है :-

1. मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भरती एवं पदोन्नति नियम, 2000 के नियम-8 (2) में निर्धारित शारीरिक अर्हता (क) उॅचाई 168 से.मी. या उससे अधिक (केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिये) एवं नियम-8(3) में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होने संबंधी नियमों का शिथिलीकरण करते हुए श्री विवेक सागर प्रसाद को नियुक्ति दिनांक पश्चात आगामी 04 वर्षो में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता से छूट प्रदान करते हुए उप पुलिस अधीक्षक (जी.डी.) के सीधी भरती के अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद पर विशेष नियुक्ति प्रदान की जाती है।
2. श्री विवेक सागर प्रसाद वर्तमान में BPCL, Bhopal में Executive Officer Grade - A के पद पर कार्यरत हैं। इन्हे उप पुलिस अधीक्षक (जी.डी.) के पद पर नियुक्ति उपरांत कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सेवा त्याग का प्रमाण पत्र प्रशासकीय विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
3. राजपत्रित पद पर नियुक्ति पश्चात श्री विवेक सागर प्रसाद की सेवाऐं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों से शासित होंगी।
4. इनकी परिवीक्षा अवधि इनके द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने एवं उप पुलिस अधीक्षक के लिये विहित प्रशिक्षण एवं समस्त विभागीय परीक्षाऐं उत्तीर्ण करने के पश्चात समाप्त की जावेगी।
5. इनकी नियुक्ति उपरांत आरक्षण नियमों के अनुपालन में उप पुलिस अधीक्षक(जी.डी.) का 01 पद रिक्त पद अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में समाहित होगा।

.....2.....

Scanned with CamScanner

3/ नव नियुक्त अधिकारी आदेश प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के अंदर पुलिस मुख्यालय, भोपाल में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार पदस्थापना स्थल से अपना कम आने पर कार्य मुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

4/ उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में सयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

5/ नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठ्ता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 से शासित होंगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे।

6/ नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्यागपत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हे भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते हो वह उस समय प्राप्त कर रहे होगें, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

7/ राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8/ नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नही होगा।

9/ परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक ''बाण्ड'' शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

10/ नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हे अपना नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

.....3.....

Scanned with CamScanner

11/ श्री विवेक सागर प्रसाद को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र की मूलप्रतियाँ गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल में एवं पुलिस मुख्यालय, भोपाल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

12/ श्री विवेक सागर प्रसाद का चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कराया जाकर गृह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

13/ श्री विवेक सागर प्रसाद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित संभागीय चिकित्सा मण्डल से स्वयं का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु उपस्थित होना होगा। संभागीय चिकित्सा मण्डल द्वारा इनका स्वास्थ्य परीक्षण कर प्रतिवेदन गृह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

14/ श्री विवेक सागर प्रसाद की उप पुलिस अधीक्षक (जी.डी.) के पद पर वरिष्ठता इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पूर्व में सीधी भरती से उक्त पद पर नियुक्त अन्तिम अधिकारी के नाम के नीचे निर्धारित होगी।

15/ श्री विवेक सागर प्रसाद को उप पुलिस अधीक्षक (जी.डी.) के पद पर विशेष नियुक्ति मंत्रि-परिषद आदेश, आयटम कमांक-8, दिनांक 31 अगस्त, 2021 के अनुपालन में प्रदान की गई है।

16/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (कमांक 10 सन 2002), दिनांक 13.05.2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियॉ रोस्टरपंजी में कर दी गई है।

17/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो को आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमांक सन 1994) उपबंधो का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6, की उप धारा (1) के उपबंधो का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अन्नू भलावी)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, गृह विभाग

Scanned with CamScanner

पृ0कमांक एफ 1(बी)93/2021/बी-4/दो, भोपाल, दिनांक 06/09/2021

प्रतिलिपि-

1. महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान0 मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान0 मंत्रीजी, गृह म0प्र0 भोपाल ।
4. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
5. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, गृह विभाग।
6. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
8. पुलिस महानिदेशक, म0प्र0 भोपाल।
9. अति0 पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पु0मु0 भोपाल। कृपया **श्री विवेक सागर प्रसाद** को नियमानुसार आमद लेकर समस्त प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूर्ण कराकर कार्यभार ग्रहण करावें तथा गृह विभाग, म.प्र.शासन को अवगत करावें। नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीयसेवा में हो, उनके नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजाँच एवं अमांग पत्र भी प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करावें तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना भिजवाये। यह भी निर्देशित किया जाता है कि नवनियुक्त उप पुलिस अधीक्षक को म0प्र0 पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये उपस्थित होने हेतु अनिवार्य रूप से कम आने पर कार्य मुक्त करें।
10. अति0 पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पु0मु0 भोपाल।
11. उप सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
12. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर उनके पत्र कमांक 3330/03/2021/अनुभाग-6, दिनांक 14.08.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।
13. निदेशक, मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल ।
14. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर आगमी राजपत्र के अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
15. **श्री विवेक सागर प्रसाद आत्मज श्री रोहित प्रसाद, 173, जी.एच., शिव नगर, चांदौन, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद** की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों एवं पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजाँच एवं अमांग पत्र सहित अपनी उपस्थिति पुलिस मुख्यालय, म0प्र0 भोपाल में दर्ज कराकर नियमानुसार कार्य भार ग्रहण करें।
16. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मंत्रालय, भोपाल।
17. स्थापना पटल/स्टाक फाईल।

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, गृह विभाग

Scanned with CamScanner